श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय)

बी ४ कुतुब सांस्थानिक क्षेत्र, नई दिल्ली ११००१६

क्रमांक: एफ-3/05/एलबीएस/शै०/2023-24/ 1179 दिनांक: 23/01/2024

कार्यालयीय सूचना

विषय: शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिए छात्र कल्याण परिषद् गठित करने के सन्दर्भ में।

शैक्षणिक नियमपरिचायिका में प्रदत्त प्रावधानों के अनुपालन में शैक्षणिक सत्र 2023-24 के लिये छात्र कल्याण परिषद् गठित करने हेतु गठित समिति की बैठक आयोजित की गई। समिति द्वारा छात्र कल्याण-परिषद् के सदस्यों को मनोनीत करने हेतु निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करते हुऐ निम्नलिखित छात्र/छात्राओं को 'छात्र-कल्याण-परिषद्' के पदाधिकारी एवं सदस्य मनोनीत किया जाता है। छात्र कल्याण परिषद् का कार्यकाल एक शैक्षणिक-वर्ष लिये होता है।

क्रम संख्या	कक्षा	पदाधिकारी	संबंधित छात्र का नाम
1	विद्यावारिधि	अध्यक्ष	नितिका जिन्दल (नव्य-व्याकरण)
2	शिक्षाचार्य	उपाध्यक्ष	शक्ति शुक्ला (शिक्षा)
3	आचार्य द्वितीयवर्ष	1. महामंत्री 2. महामंत्री	प्रदीप (पुराणेतिहास) संजू मिश्रा (सांख्ययोग)
4	शास्त्री तृतीयवर्ष	1. सदस्य 2. सदस्य	समीर कुमार (नव्य-व्याकरण) अंशु (सांख्ययोग)
5	शिक्षाशास्त्री द्वितीयवर्ष	1. सदस्य 2. सदस्य	जागृति गुप्ता (शिक्षाशास्त्री) अपूर्व गुप्ता (शिक्षाशास्त्री)
6	शिक्षाचार्य द्वितीयवर्ष	सदस्य	स्वपनाराणी दास

1. छात्रकल्याण परिषद् छात्र-वर्ग की शैक्षणिक-गतिविधियों से सम्बन्धित सभी प्रकार के मामलों पर नियमानुसार उचित-कार्यवाही हेतु अपना प्रस्ताव लिखित रूप में अपने विभाग के विभागाध्यक्ष, पीठप्रमुख के माध्यम से सम्पर्क अधिकारी-छात्र शिकायत-निवारण-प्रकोष्ठ को प्रस्तुत करेंगे, जो अपनी विशेष-टिप्पणी के साथ सम्बन्धित-प्रस्ताव को पीठप्रमुख छात्र-कल्याण को प्रेषित करेंगे। पीठप्रमुख, छात्रकल्याण प्रस्तुत शिकायत की समीक्षा करने के पश्चात् नियमानुसार अग्रिम-कार्यवाही हेतु कुलपति महोदय/कुलसचिव महोदय को प्रेषित करेंगे।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विनियम, 2010 में दिये गये सुझावों के अनुरूप छात्रों को आत्मानुशासन का पालन भी करना होगा और कक्षाओं में नियमित उपस्थिति रखनी होगी।
3. छात्रों के किसी भी प्रकार की अनुशासनहीनता पर उनके विरुद्ध यथोचित अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा सकेगी। छात्रों द्वारा अत्यन्त-गम्भीर-दुर्व्यवहार या अनुशासनहीनता का दोषी पाये जाने पर प्रमाणित होने एवं अनुशासन-समिति की अनुशंसा पर छात्र को छात्रकल्याण-परिषद् से निष्कासित भी किया जा सकता है। तथा प्रवेश नियमानुसार संबंधित छात्रा का पंजीकरण निरस्त भी किया जा सकता है।
4. छात्रकल्याण-परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि कोई छात्र यदि विश्वविद्यालय परिसर की सम्पति को नुकसान करता है, तो वह अनुशासनात्मक-कार्यवाही के योग्य माना जायेगा तथा नुकसान की गई सम्पत्ति की भरपाई के लिए सम्बन्धित छात्र या छात्र-समूह जिम्मेदार होगा।
5. छात्रकल्याण-परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि सभी छात्र विश्वविद्यालय परिसर की गरिमा को बनाए रखेंगे। किसी भी अवांछित-गतिविधि में भाग नहीं लेंगे, जो परिसर की गरिमा के अनुरूप नहीं होगा।

6. परिसर में स्वयं या अन्य छात्रों के द्वारा हिंसा फैलाने, शान्ति भंग करने, अपनी बात जबर्दस्ती मनवाने का प्रयास करने पर अनुशासन-समिति उस छात्र के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकती है।

7. छात्रकल्याण-परिषद् प्रत्येक छात्र को प्रेरित करेगी कि वह विश्वविद्यालय द्वारा समय-समय पर छात्रों के लिए आयोजित समस्त सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक कार्यक्रमों में ज्ञान-वर्धनार्थ भाग लेंगे।

8. छात्रकल्याण-परिषद् के गठन, संचालन एवं अन्य क्रिया-कलापों के सम्बन्ध में कुलपति द्वारा आवश्यक-निर्णय लिया जा सकता है। नियमों में किसी विसंगति, अस्पष्टता या आवश्यकतानुसार परिषद् के गठन एवं संचालन-हेतु कुलपति का निर्णय अंतिम होगा।

9. विश्वविद्यालय की शैक्षणिक-नियम-परिचायिका में निर्धारित सभी नियमों का परिपालन करना प्रत्येक छात्र का कर्तव्य होगा।

10. शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा समय-समय पर प्रेषित दिशा-निर्देशों का छात्र कल्याण परिषद् के सदस्यों तथा संबंधित छात्रों द्वारा अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

11. छात्र कल्याण परिषद् हेतु मनोनित सदस्यों को अपना शपथ पत्र पीठम् प्रमुख छात्र कल्याण परिषद् प्रो. शिवशंकर मिश्र के कार्यालय में एक सप्ताह के भीतर जमा करवाना अनिवार्य होगा।

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ हेतु प्रस्तुत।

1. समस्त पीठ प्रमुख एवं विभागाध्यक्ष
2. निदेशक, आन्तरिक गुणवत्ता आश्वासन एवं कुलानुशासक
3. छात्रावास अधिष्ठाता
4. परीक्षा नियंत्रक
5. प्रभारी एन.सी.सी. एवं प्रभारी एन.एस.एस.
6. सम्पर्क अधिकारी (एस.टी./एस.सी. एवं ओ.बी.सी. प्रकोष्ठ)
7. निदेशक, महिला अध्ययन केन्द्र
8. समस्त सहायक कुलसचिव
9. सहायक अभियन्ता
10. सहायक प्रोग्रामर (संगणक केन्द्र)
11. प्रभारी क्रीडा विभाग
12. संगणक विभाग को इस आशय से प्रेषित कि वह उक्त सूचना को विश्वविद्यालय के वेबसाईट पर अपलोड करने का कष्ट करेंगे।
13. कुलपति एवं कुलसचिव के निजी सचिव
14. सम्बन्धित पत्रावली

सहायक कुलसचिव (शैक्षणिक)

24.01.24

आवश्यक कार्यवाही हेतु

24/01/2024